प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव

डा० पी०आर० अम्बेडकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी ग्राम–सागापाली, पो०–डोटारी तह०–कासिमाबाद, जिला–गाजीपुर द्वारा ग्राम –बोरसिया, पो०–फदनपुर, तह०–सदर, जिला–गाजीपुर। सोसायटी/ट्रस्ट – माँ शाकिनी एजुकेशनल रिसर्च एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट

पत्रांक–प्राशिप/परिषद/2022/5845 लखनऊ:दिनांक– 14–7–2022

विषय– सत्र 2022–23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी०सी०आई०) के पत्रांक 14–56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11621–23 दिनांक 21–6–2022 एवं मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31–5–2022 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में सत्र 2022–23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूच्य है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पी०सी०आई०, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।

मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31–5–2022 एवं पी०सी०आई०, नई दिल्ली के उक्त पत्र संदर्भ संख्या 14–56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11621–23 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस्था को सहमति/अनापत्ति पत्र मा० उच्चतम न्यायालय में योजित एस०एल०पी० नं० 406/2022 में पारित अंतिम निर्णय के प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022–23 हेतु फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022–23 हेतु परिषद द्वारा आहूत सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की बैठक से पूर्व प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022–23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही शपथ पत्र में दी गई जानकारी तथा पी०सी०आई० एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय सत्यापन एक माह के अंदर सुनिश्चित किया जायेगा। अभिलेखों के सत्यापन की पुष्टि न होने तथा स्थलीय निरीक्षण में मानकों/शर्तों के पूर्ण न किये जाने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी।

भवदीय,

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

पृ०सं०– प्राशिप/परिषद/2022/5846–47 तद्दिनांक– 14–7–2022

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार–कम–सेक्रेटरी, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, कम्बाइन्ड काउंसिल बिल्डिंग, टेम्पल लेन, कोटला रोड, एवान–ए–गालिब मार्ग, नई दिल्ली– 110 002

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव